सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2025 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
1	पंचायत सरकार भवन की क्रियाशीलता को प्रभावी करने के संबंध में।	पंचायत सरकार भवन की क्रियाशीलता को प्रभावी बनाने एवं ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराये जाने के विषय पर सभी पदाधिकारी कार्य योजना तैयार कर विचार–विमर्श हेतु अगली बैठक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रखें।
2	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–106 में संशोधन।	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–106 में उल्लिखित भारतीय दंड संहिता, 1860 एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS, 2023) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) की संगत धाराओं में सम्परिवर्तित करने से संबंधित संशोधन प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–8)
3	निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन **दिनांक 02.07.2025 (बुधवार)** को भवन निर्माण विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का **निरीक्षण** विभाग द्वारा Develop Application के माध्यम से करेंगे एवं **दो दिनों** के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन–सभी प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा–2 / अनुश्रवण कोषांग)
4	अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट के **sample** का **Accredited Lab** द्वारा **sample testing** एवं **TPI** के संबंध में।	(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अंतर्गत कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा समयावधि के अंदर एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं किये जाने से संबंधित स्पष्टीकरण के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई **(Action Taken Report)** संकलित कर उपस्थापित की जाये। (ii) विभागीय / क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अंतर्गत अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट का निरीक्षण के क्रम में प्राप्त किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट के sample का Accredited Lab द्वारा sample testing (जांच) हेतु ब्रेडा, पटना को भेजा जाए। (iii) मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अंतर्गत **01 (एक) प्रतिशत** अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईटों का Third Party Inspection **(TPI)** कराये जाने हेतु A.N. Sinha Institute of Social Studies, Patna; L.N. Mishra Institute of Economic Development and Social Chanage, Patna एवं Chandragupt Institute of Management, Patna से प्रस्ताव (Estimated Cost & Time Line आदि) उपलब्ध कराये जाने के लिए अनुरोध किया जाये। (अनुपालन–सभी प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा–3 / अनुश्रवण कोषांग)

लगातार.....

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
5	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना।	(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत Trainer Empanelment हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन/सूचना को अपरिहार्य कारणों से रद्द करते हुए पुनः Trainer Empanelment के लिए विज्ञापन/सूचना, जिसमें Education एवं Experience स्पष्ट रूप से अंकित हो, **दो दिनों** के अंदर तैयार कर परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI) के माध्यम से उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाये। (ii) **Turnkey basis** पर Manpower एवं कम्प्यूटर के संबंध में RGSA योजना के प्रावधान एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 का अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आलोक में **Tender Document** तैयार कर Financial Clause पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार का मंतव्य एवं निविदा की Legal Vetting Legal Advisor/Consultant से कराकर समीक्षा हेतु प्रशाखा–2 के प्रभारी पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था के माध्यम से उपस्थापित की जाये। **(अनुपालन–प्रशाखा–2 एवं बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)**
6	**Tally के माध्यम से Accounting एवं Financial Management के लिए निविदा।**	(i) जिला स्तरीय अंकेक्षक अथवा किसी विशेषज्ञ Firm का नियमानुसार चयन कर लेखापाल को Financial Statement Double Entry System के माध्यम से तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाये। (ii) Tally के माध्यम से Accounting एवं Financial Management के लिए निविदा तैयार कर Financial Clause पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार का मंतव्य एवं निविदा की Legal Vetting Legal Advisor/ Consultant से कराने के पश्चात् उपस्थापित किया जाये। **(अनुपालन–प्रशाखा–7)**
7	अनुश्रवण कोषांग/ अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (M&E)	ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एवं ई–पंचायत पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण (Qualitative Analysis) कर व्यय, वित्तीय नियमावली का पालन, Vendor के repetitive payment आदि के संदर्भ में समीक्षा कर प्रतिवेदन **तीन दिनों** के अंदर उपलब्ध करायें। **(अनुपालन–अनुश्रवण कोषांग)**

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(मनोज कुमार)
सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

लगातार.....

E:\Old Computer Backup\Servesh-2025\Secretary - 2025\Proceedings\Department Weekly Review Meeting...

ज्ञापांकः 9प/प्र0-08-802(खण्ड)/2016/8391/पं०रा०   पटना, दिनांक 04/7/2025

प्रतिलिपिः विशेष सचिव/निदेशक/परियोजना निदेशक/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी अनुश्रवण कोषांग/राज्य परियोजना प्रबंधक, मानव संसाधन-सह-प्रशासन, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना/श्रीमती रंजना कुमारी, आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0-08-802(खण्ड)/2016/8391/पं०रा०   पटना, दिनांक 04/7/2025

प्रतिलिपिः-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प/प्र0-08-802(खण्ड)/2016/8391/पं०रा०   पटना, दिनांक 04/7/2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना